

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269665
SG-DL-E-30012026-269665

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]	दिल्ली, , मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 431
No. 04]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 431

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2026

संख्या : 5/नियम/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं सह-न्यायाधीशगण द्वारा सहर्ष संकल्प किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड V के अध्याय 1 के भाग-च के नियम 1(g) के अनुसरण में, याचिका/अपील/आवेदन के संस्थापन के समय, प्रतिवादी(गण)/ प्रत्यर्थी(गण)/ विपक्षी पक्षकारों की संख्या चाहे जो हो, याचिकाकर्ता/ अपीलकर्ता/ आवेदक द्वारा ₹1,000/- तथा उत्तर/ प्रति-शपथपत्र/ प्रत्युत्तर दायर करते समय, प्रतिवादी/ विपक्षी पक्षकार द्वारा ₹500/- की एकमुश्त प्रक्रिया शुल्क देय होगी एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एकमुश्त प्रक्रिया शुल्क में किसी भी प्रकार के अन्य आनुषंगिक उद्धरण/ शुल्क जैसे कि प्रकाशन, ढोल-नगाड़ा, चस्पा, कमीशन इत्यादि संबंधी व्यय का भुगतान अंतर्विष्ट नहीं होंगे।

उपर्युक्त शुल्क, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से देय होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महा निबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2026

No. 5/Rules/DHC.—Hon'ble the Chief Justice and companion Judges have been pleased to resolve that in terms of Rule 1(c) of Part F of Chapter 1 of Volume V of Delhi High Court Rules and Orders, one-time process fee of Rs. 1,000/- from the petitioner/appellant/applicant at the time of institution of the petition/appeal/application, irrespective of the number of respondents/defendants/opposite parties and Rs. 500/- from the respondent/opposite party shall be payable at the time of filing the reply/counter affidavit/response and it is clarified that one-time process fee shall not include any other incidental levies / fees such as payment of expenses towards publication, beat of drums, affixation, commission etc.

The above fee shall be chargeable from the date of its publication in the Gazette.

By Order of the Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General